

13-6-22 आज पत्रावली पेश हुई। यूंकि वादीगण ने

अपना मूल वाद पार्थना पत्र कादेश 23.
नियम। सी पी सी पेश होने पर विद ई कुर
खारिज करा लिया है। यूंकि मूल वाद खारिज
होने के कारण इस पार्थना पत्र के चलने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः दिनांक 13-6-22
को जारी युवा टी० भाइ० खारिज सिपा जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार ए कुर दाखिल
दफतर है।

ॐ
उपखण्ड अधिकारी
काशी (पीएमपुर)

